संख्या-60/2015/2188 ई-2/तेरह-2015-49/2015

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक: 08 दिसम्बर,2015**

विषय:-मे0 जायका सहायतित आगरा जल सम्पूर्ति परियोजना के अन्तर्गत जलशोधन संयंत्र हेतु 12.67 लाख लीटर डिनेचर्ड अब्सोल्यूट अल्कोहल के वार्षिक कोटे के साथ एफ0एल0-40 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-23/दो-805ए(22)/268, दिनांक 27 मई,2015, पत्र संख्या-जी-56/दो-805ए(22)/268, दिनांक 14 जुलाई,2015 तथा पत्र संख्या-जी-111/दो-805ए(22)/268, दिनांक 01 अक्टूबर,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्रों में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मे0 जायका सहायतित आगरा जल सम्पूर्ति परियोजना के अन्तर्गत गंगाजल परियोजना इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, 4/4, संजय प्लेस, आगरा को सिकन्दरा, आगरा में 144 एम0एल0डी0 जलशोधन हेतु 12.67 लाख ब0ली0 विकृत अब्सोल्यूट अल्कोहल के वार्षिक कोटे के साथ एफ0एल0-40 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में एतदद्वारा शासन की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in